न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2024/50 (प्रा०प०)
दायर दिनांक – 08/02/2024
निर्णय दिनांक – 27/06/2025

अनवान

1. मेहिनी कुंवर पत्नि मदनसिंह परमार निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर, जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र खटीक, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 27/06/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम खमनोर पटवार हल्का खमनोर तहसील खमनोर में आराजी संख्या 264 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि स्थित है। आराजी संख्या 264 के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 263 किस्म आ०चा० राजस्व रेकर्ड में दर्ज था जो पूर्व में राजस्व रेकर्ड में सही तरीके से इन्द्राज था किन्तु वर्तमान में ऑनलाईन राजस्व प्रकिया की जमाबन्दी एवं नक्शें में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी नम्बर 264 के उत्तर दिशा में कुआ दर्शाया गया जबकि उत्तर दिशा में बनास नदी है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान में आराजी संख्या 264 में कुंआ दर्शाया गया है जबकि पूर्व में उक्त कुंआ आराजी संख्या 264 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी संख्या 263 में स्थित था और वर्तमान में भी आराजी संख्या 264 में कुंआ दर्शा रखा है जो गलत है। जिसे प्रार्थीया राजस्व रेकर्ड में शुद्विकरण कराने की अधिकारीणी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 264 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी संख्या 263 किस्म आ०चा० को पूर्ववत अनुसार कुंआ इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में शुद्विकरण कराने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार खमनोर के द्वारा अपने पत्र कमांक:भू.अ. /राजस्ववाद/2025/516 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थीया मोहिनी कुंवर पत्नि मदनसिंह परमान के नाम खसरा 264 ग्राम खमनोर पटवार मण्डल खमनोर रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म बीड 0.0253 चाही उत्तम 0.0506 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। बाद जॉच जाहिर आया कि वक्त सेग्रीगेशन से पूर्व खसरा संख्या 263 रकबा 0.0126 हैक्टेयर किस्म आ0चा0 खसरा संख्या 264 के पश्चिम दिशा में था जो सेग्रीगेशन के बाद खसरा संख्या 264 के उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। सेग्रीगेश से पूव्र राजस्व ग्राम खमनोर के नक्शें में खसरा संख्या 264 के मध्य एक डेश लाईन बनी हुई थी जिसकों सेग्रीगेशन तक स्ट्रेट लाईन दर्शाते हुए खसरा संख्या 263 को खसरा संख्या 264 के पश्चिम दिशा में ना दर्शाते हुए, उत्तर दिशा में दर्शा दिया गया। राजस्व नियमों के अनुसार नक्शा शुद्दि का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी महोदय का होता है। अतः खसरा संख्या 263 को खसरा संख्या 264 के उत्तर दिशा में ना दर्शाते हुए, पश्चिम दिशा में दर्शाकर सेग्रीगेशन से पूर्व के राजस्व नक्शें अनुसार किया जाना उचित होगा।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं डिजिटाईजेशन के दौरान वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिवश हुई अशुद्दि को शुद्ब किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि विपक्षी संख्या 01 तहसीदार खमनोर की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में सही अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट मय अनुशंषा के अनुसार ग्राम खमनोर, पटवार हल्का खमनोर तहसील खमनोर स्थित प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या 264 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि में सेग्रीगेशन की त्रुटि से उत्तर दिशा में आराजी संख्या 263 कुआ अंकित हो गया है जिससे उक्त अशुद्दि को शुद्ब किया जाकर खसरा संख्या 263 को खसरा संख्या 264 के पश्चिम दिशा में सेग्रीगेशन से पूर्व के राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शें में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शें में अंकन किया जावें। पालनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तहसीलदार खमनोर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)